

**प्रेस नोट - दिनांक 21.04.2021 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
थाना मोहाना व पी0ए0सी0 गोंडा की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर व क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत फ्लैग मार्च किया गया।**

आज दिनांक 21.04.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री जयप्रकाश दूबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत थानाध्यक्ष थाना मोहाना मय हमराह व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु मय हमराह व थाना के समस्त 30 नि० गण तथा 30वीं बटालियन पी0ए0सी0 गोंडा की संयुक्त टीम द्वारा मय दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सीकरी बाजार, रामगढ, बर्डपुर, मोहाना चौराहा व समस्त अतिसंवेदनशील/ संवेदनशील स्थानों पर एरिया डोमिनेशन/फ्लैग मार्च किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21-04-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 21-04-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 560 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 139 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज कर ₹ 1,57,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2021 थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

“ चोरी का ₹5000 नगद व जेवर के साथ 1 नफर शातिर चोर गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अरुण चंद्र, क्षेत्राधिकारी, बांसी के कुशल निर्देशन व श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में 30नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह मय हमराही पुलिस बल द्वारा आज दिनांक

21.04.2021 को मु0अ0सं0 92/21धारा 457, 380, 411 IPC से संबंधित अभियुक्त हरिचरण पुत्र निर्मल ग्राम मुडीला राजा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

बरामद माल का विवरण –

₹5000 नगद 1 जोड़ी पायल व एक अदद माला लाकेटदार सफेद धातु का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह
2. हेड कांस्टेबल पवन मौर्या थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक – 21.04.2021

थाना बांसी व 27वीं वाहिनी पी0ए0सी0 की संयुक्त टीम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया व कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल संपन्न कराने व कोरोनावायरस से बचाव के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री जग प्रवेश उप-जिलाधिकारी बांसी, श्री अरूण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी, बांसी के कुशल नेतृत्व में श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना बांसी, व श्री राम दरश आर्य, प्रभारी निरीक्षक पथरा बाजार व श्री ब्रह्मा गोंड, प्रभारी निरीक्षक खेसरहा द्वारा मय फोर्स व 01 प्लाटून पी.ए.सी 27 वीं वाहिनी दल के साथ सर्किल मुख्यालय के ऐसे गांव जहाँ पर हिस्ट्रीशीटर अपराधी एवं सक्रिय अपराधी निवास कर रहे हैं, एवं अतिसंवेदनशील गांवों के मतदान केंद्रों के आस-पास सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण तथा फ्लैग मार्च व एरिया डोमिनेशन कर ग्रामीणों/स्थानीय जनमानस से पंचायत चुनाव के दृष्टिगत निर्भीक होकर अपने मताधिकार का शत-प्रतिशत प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित/विश्वास बहाली किया गया एवं वाहनों पर लगे हुए पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से शांति-व्यवस्था बनाये रखने की अपील की गयी एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2021

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना

शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.04.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. रविकान्तमणि त्रिपाठी, उ.नि. महेन्द्र चौहान, हेका. अनिल लाल, का. राजू यादव मय टीम द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मास्क/ वाहन चेकिंग के दौरान प्लाईवुड चौराहा खुनुवा मार्ग पर एक व्यक्ति द्वारा अपने निजी वाहन वैगन आर वाहन सं. UP 55 AD 5744 पर चुनाव सम्बन्धी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नं. 8 अनिल अग्रहरी का पोस्टर लगाया गया था मना करने पर भी नहीं हटाने व आचार संहिता का उल्लंघन करने पर थाना स्थानीय पर एनसीआर नं. 69/21 धारा 171-N पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का विवरण -

जगदीश अग्रहरी पुत्र सूर्यनाथ सा. औदहीकला थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक – 21.04.2021

थाना सिद्धार्थनगर व 30वीं वाहिनी पी0ए0सी0 की संयुक्त टीम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया व कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल संपन्न कराने व कोरोनावायरस से बचाव के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री विकास कश्यप उप-जिलाधिकारी सदर, श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल नेतृत्व में श्री छत्रपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर, व श्री राम अशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर व श्री मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर सर्किल मुख्यालय के ऐसे गांव जहाँ पर हिस्ट्रीशीटर अपराधी एवं सक्रिय अपराधी निवास कर रहे हैं, एवं अतिसंवेदनशील गांवों के मतदान केंद्रों के आस-पास सभी प्रभारी निरीक्षकगण द्वारा मय फोर्स व 02 प्लाटून पी.ए.सी 30 वाहिनी (सी) दल जनपद गोण्डा के साथ मतदान केन्द्रों का भ्रमण तथा फ्लैग मार्च व एरिया डेमुनेशन कर ग्रामीणों/स्थानीय जनमानस से पंचायत चुनाव के दृष्टिगत निर्भीक होकर अपने मताधिकार का शत-प्रतिशत प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित/विश्वास बहाली किया गया एवं वाहनों पर लगे हुए पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से शांति-व्यवस्था बनाये रखने की अपील की गयी एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया।

प्रेस नोट दिनांक – 21.04.2021

थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया व कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल संपन्न कराने व कोरोनावायरस से बचाव के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल नेतृत्व में सर्किल डुमरियागंज के सर्किल मुख्यालय के ऐसे गांव जहाँ पर हिस्ट्रीशीटर अपराधी एवं सक्रिय अपराधी निवास कर रहे हैं एवं अतिसंवेदनशील गांवों के मतदान केंद्रों के आस-पास सभी प्रभारी निरीक्षकगण द्वारा मय फोर्स व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मतदान केन्द्रों का भ्रमण तथा फ्लैग मार्च व एरिया डेमुनेशन कर ग्रामीणों/स्थानीय जनमानस से पंचायत चुनाव के दृष्टिगत निर्भीक होकर अपने मताधिकार का शत-प्रतिशत प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित/विश्वास बहाली किया गया एवं वाहनों पर लगे हुए पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से शांति-व्यवस्था बनाये रखने की अपील की गयी एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2021 थाना मोहना जनपद सिद्धार्थनगर
थाना मोहाना पुलिस द्वारा 45 शीशी अवैध लैला देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार।

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में श्री जयप्रकाश दुबे, थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2021 को थाना मोहाना पुलिस 01 नफर अभियुक्त गुलाब जायसवाल पुत्र स्व0 बाबूराम जायसवाल निवासी अजाने थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को सीकरी बाजार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिपिया मे 45 शीशी अवैध लैला देशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर द्वारा मु.अ.सं. 76/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0 नि0 मनोज कुमार श्रीवास्तव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. हे0का0 दिनेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
4. हे0का0 देश दीपक सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक.21.4.2021

थाना ढेबरूआ पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार

|

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के सघन पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन तथा श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के नेतृत्व में दिनांक 20.04.21 को सायंकाल लगभग 18.00 बजे ग्राम सिरकीहवा के पास से मुखवीरी सूचना के आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 15-15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुआ। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता विवरण-

1. मुस्लिम पुत्र कल्लू मियां साकिन कठेला जनूबी टोला चन्दनजोत थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. मोल्हू पुत्र बाबूराम साकिन मैनिहवा टोला सिरकीहवा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी-

15-15 लीटर कच्ची अवैध शराब।

पुलिस टीम का विवरण-

01. उप निरीक्षक वीरेन्द्र कुंवर
02. हेड सुरेश वरुण
03. कांस्टेबल अखिलेश यादव
04. कांस्टेबल रामसेवक यादव
05. कांस्टेबल अर्जुन यादव

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2021

**थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत
संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया व कोविड-19 महामारी
के दृष्टिगत आम-जन को जागरूक किया गया ।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व निर्देशन में आज दिनांक 21.04.2021 को त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ तथा श्री शिवमूर्ति सिंह, उप-जिलाधिकारी शोहरतगढ़ के नेतृत्व में, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ मय पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण तथा श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरूआ मय हमराह, श्री दिनेश चन्द चौधरी, प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया मय हमराह के व डेढ़ सेक्सन पीएसी 27 बटालियन एफ कम्पनी के साथ थानाक्षेत्र शोहरतगढ़ के ग्राम सियाव नानकार, भादमुस्तहक, डोहरिया बुजुर्ग, गोलहौरा मुस्तहकम, सिसवा, परसोहिया नानकार रोमनदेई महमुदवा ग्रान्ट में एरिया डोमिनेशन किया गया।

**प्रेस नोट दिनांक 21.04.2021 थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर
12 बोटल किंगफिशर बीयर के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन व श्री कृष्णदेव सिंह, प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.04.2021 को डुमरियागंज पुलिस द्वारा 02 नफर क्रमशः 1. रवि कुमार पुत्र रामकेवल गुप्ता निवासी व थाना भवानीगंज ,जनपद-सिद्धार्थनगर 2. सूरज कुमार पुत्र चैतू निवासी धौरहरा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को 12 बोटल किंगफिशर बीयर ले जाते समय पकड़े जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 39/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 40/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. SI बांकेलाल
2. HC प्रमोद ओझा
3. का0 अरुण कुमार

प्रेस नोट दिनांक 21-04-2021

मतदाताओं को बांटने के लिये ले जाते समय, 40 शीशी नाजायज शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.04.2021 को अपराध एवं अपराधियों के प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज श्री कृष्णदेव सिंह के कुशल नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदाताओं को शराब बांटने के लिये जाते समय 40 शीशी बन्टी बबली नाजायज शराब पकड़े जाने व आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 37/2021 धारा 60 आबकारी अधि0,207 एमवी एक्ट व 171F IPC विरुद्ध सत्येन्द्र कुमार पुत्र वशिष्ठ कुमार सा0 महुआ खुर्द थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर व मु0अ0सं0 38/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 171F IPC विरुद्ध मंत्री पुत्र स्व0 गरीबदास निवासी महुआ खुर्द थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर के पंजीकृत कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. सत्येन्द्र कुमार पुत्र वशिष्ठ कुमार सा0 महुआ खुर्द थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर ।
2. मंत्री पुत्र स्व0 गरीबदास निवासी महुआ खुर्द थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

वांछित अभियुक्त

3. प्रधान प्रत्याशी रमजान अली महुआ खुर्द थाना डुमरियागंज जनपद-सिद्धार्थनगर

पुलिस टीम का विवरण-

1. SI श्री उदयभान यादव
2. का0 राजन सिंह
3. का0 संजीत पाण्डेय

थाना त्रिलोकपुर पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विवादित/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को लाल/पीला/हरा कार्ड वितरित किया जा रहा है ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव 2021 सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत दिये गये निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में व रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर के निर्देशन में थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में ग्राम पंचायत चुनाव 2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विवादित/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को लाल/पीला/हरा कार्ड वितरित किया जा रहा है ।

प्रेस नोट दिनांक 21.04.2021

कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 21-04-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3 ,4 व ,5 का उल्लंघन करने वाले 166 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल रू0 55500/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

प्रेस नोट-दिनांक 21.04.2021

एक अदद कड़ा देशी 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, डुमरियागंज तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में भवानीगंज पुलिस बल द्वारा रात्रि गस्त व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान एक अभियुक्त रामविलास यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव सा0 परसपुर थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर को एक अदद कड़ा देशी 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्त –

रामविलास यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव सा0 परसपुर थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण –

- 1-उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उ0नि0 श्री वकील यादव, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- का0 विवेक सिंह, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- का0 राकेश यादव, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- का0 दिवाकर चौरसिया, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट / सराहनीय कार्य दिनांक 21.04.2021

25 शीशी देशी अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी,सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री छत्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस बल व आबकारी विभाग की सयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 21.04.2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन/शराब तस्करी के दौरान गुदराही मोड पर मामूर था कि जरिए मुखबीर खास की सूचना पर सुखराम साहनी पुत्र कोमल साहनी निवासी वन्जरहा थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर को 25 शीशी देशी अवैध शराब बरामद हुआ । गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

बरामदगी का विवरण-

25 शीशी देशी अवैध शराब ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

1- सुखराम साहनी पुत्र कोमल साहनी सा0 वन्जरहा थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-उ0नि0 श्री बीरबहादुर यादव थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम श्री मुकेश कुमार शर्मा जनपद सिद्धार्थनगर ।

3-उ0नि0 रामेश्वर सिंह थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

4-का0 धीरज यादव थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

5-का0 आलोक यादव थाना कोतवाली सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

6- का0 रवि गौड थाना कोतवाली सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 21-04-2021

आचार संहिता के उल्लंघन में की गयी कार्यवाही ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी,सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री छत्रपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 21-04-2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टगति आदर्श आचार संहिता का उल्लघन करने के सम्बन्ध में जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नं0 02, मो0 उमर खान पुत्र सेराज खान निवासी देवलहवा ग्रान्ट थाना व जनपद सि0नगर का चुनाव निशान घड़ी का पोस्टर लगाये हुए वाहन मे बैठे ब्यक्तियों से पूछताछ किया गया तो अपना नाम मो0 उमर खान पुत्र सेराज निवासी देवलहवा ग्रान्ट थाना व जनपद सि0नगर बताया । प्रचार सामाग्री की अनुमति पत्र मागा गया तो दिखाने मे असमर्थ रहे इस संबंध में थाना स्थानीय पर एनसीआर नं0 55/2021 धारा 171(H) भादवि पंजीकृत किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 21-04-2021

श्री दीपक मीणा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चंद्र रावत व जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत आज दिनांक 21-04-2021 को आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बिक्री निर्माण व भंडारण के विरुद्ध तहसील शोहरतगढ़ में खाड़कुइया, पिकौरा आदि स्थलों पर दबिश दी। दबिश के दौरान थाना ढेबरुआ अंतर्गत ग्राम पिकौरा से रामकेवल केवट पुत्र नीवर निवासी ग्राम पथर देइया थाना ढेबरुआ को 90 शीशी नेपाली देशी शराब कर्णाली (प्रत्येक शीशी की धारिता 300 मिली०= कुल 27 लीटर देशी शराब)के साथ गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में थाना ढेबरुआ में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। दबिश के दौरान आबकारी निरीक्षक शोहरतगढ़, थाना ढेबरुआ के उ०नि० शिवदास गौतम और जनपद स्तरीय टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक श्री केएन सिंह के साथ-साथ आबकारी, पुलिस व जिला स्तर पर गठित टीम का स्टाफ मौजूद रहा।